न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 05/2017 (225 आरटीए) मांगीलाल बनाम पाबूराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00279)

1 मांगीलाल पुत्र श्री किशनाराम जाति विश्नोई निवासी केरियों की ढाणी (रामनगर) कापरडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 पाबूराम पुत्र श्री किशनाराम जाति विश्नोई निवासी केरियों की ढाणी (रामनगर) कापरडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

2 किशनाराम पुत्र श्री निम्बाराम जाति विश्नोई निवासी केरियों ढाणी (रामनरग) कारपारडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

3 श्रीमती सुंडकीदेवी पुत्री किशनाराम पत्नी श्री जुगलकिशोर जाति विश्नोई निवासी ग्राम रावर (जूनकी ढाणी) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

4 श्रीमती पारसीदेवी पुत्री श्री किशनाराम पत्नी श्री भींयाराम जाखड़ जाति विश्नोई निवासी 34 मील फांटा रामनगर कापरडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

5 श्रीमती गोगली देवी पुत्री श्री किशनाराम पत्नी स्व. श्री पोकरराम जाति विश्नोई निवसी गुडविश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

6 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
दिनांक 28.09.2015 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2014

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते जोधपुर

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नाई।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा।
4 रेस्पो. सं. 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
5 रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2014 में

2815 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 6 के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2014 पेश किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक मूल वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम रामनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नं. 283 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 283/5 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। यह वाद ग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट के संयुक्त परिवार के कर्ता रेस्पो. संख्या 2 किशनाराम पुत्र निम्बाराम द्वारा चैनसिंह पुत्र माधोसिंह से खरीद की गई। और जिसका बेचाननामा रेस्पो. सं. 2 द्वारा रेस्पो. सं. 1 के नाम से पंजीबद्ध कराया गया है। और जो बेचाननामा उपपंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में दिनांक 27.04.1970 को पंजीबद्ध किया गया है एवं जो बेचाननामा स्नेहवश रेस्पो. सं. 2 द्वारा अपने नाबालिग पुत्र रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया गया है, जो भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 है। जिस भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स का संयुक्त रूप से कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा रेस्पो. सं. 1 को विवादित भूमि से बेदखल करने एवं विवादित भूमि अन्य को बेचान करने की ऐलानिया धमकियां दी गई जिस कारण रेस्पो. सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के लंबित रहने तक विवादग्रस्त भूमि खेत खसरा नं. 283 व 283/5 की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश फरमाया जावे एवं अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह भूमि का बेचान, हस्तांतरण नहीं करे। रेस्पो. सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिंदु भी रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में हैं। रेस्पो. सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र का अपीलांट की ओर से मुख्य रूप से इस आशय का जबाब पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम जरिए पंजीबद्ध वर्ष 1970 से खरीदशुदा भूमि है। जो राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अपीलांट के नाम दर्ज चली आ रही है जो किसी प्रकार से संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं हैं, जिस भूमि पर रेस्पोडेंट्स का किसी प्रकार से कोई हित अधिकार व कब्जा नहीं हैं। जिस कारण रेस्पो. सं. 1 का वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कानूनन चलने योग्य नहीं हैं न ही रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में अपीलांट के विरुद्ध किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है। रेस्पो. सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद न तो प्रथम दृष्टया वाद है, न सुविधा का संतुलन रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में हैं और न ही अपूर्णीय क्षति का बिंदु रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में हैं। रेस्पों. सं. 2 से 5 द्वारा रेस्पो. सं. 1 की वाद का समर्थन करते हुए जबाब पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2015 के जरिए रेस्पो. सं. 1 के द्वारा अपीलांट व रेस्पो. सं. 6 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर आए अभिवचनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध है एवं विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। रेस्पो. सं.1 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं रेस्पो. सं. 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत उत्तरवाद में रेस्पोडेंट्स द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त खसरा नं. 283 व 283/5 की कुल भूमि 35 बीघा 11 बिस्वा का पंजीबद्ध बेचाननामा अपीलांट के नाम से है और उस बेचाननामे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरों की भूमि बतौर खातेदार मात्र अपीलांट के नाम से दर्ज चली आ रही है। और जिस बेचाननामे को निरस्त किए जाने बाबत रेस्पो. सं.1 द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई वाद पेश नहीं किया गया है एवं रेस्पो. सं. 1 के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त बेचाननामा वर्ष 1970 से प्रभाव में हैं एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है व जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 540 में प्रतिपादित किया गया है कि किसी पंजीबद्ध दस्तावेज को जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता है, तब तक उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और विधि का यह भी एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज को धारा 31 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है राजस्व न्यायालय को एक पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार नहीं हैं। जिन सारे तथ्यों को नजरदांज करते हुए मात्र इस आधार पर कि बेचाननामे के निष्पादन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं पंजीयन से पूर्व चैनसिंह द्वारा रेस्पो. सं. 2 के पक्ष में एक इकरारनामा निष्पादित किया गया था को आधार मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. सं.1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2015 पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध एवं त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किए जाने योग्य है क्योंकि इकरारनामा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार सेल की परिभाषा में नहीं आते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट वीकली 6385 में यह प्रतिपादित किया गया है कि बेचान इकरारनामा, पॉवर ऑफ अटोर्नी व विल के आधार पर किसी व्यक्ति को संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते और न ही ऐसा अंतरण एक रिकोगनाईज यानि वैद्य हस्तांतरण की परिधि में ही आता है, जिस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार रेस्पो. सं. 1 को अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 से 6 के विरुद्ध यह वाद पेश करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं आर न ही न्यायालय द्वारा रेस्पो. सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद कानूनन मंजूर ही किया जा सकता है। इन सारे विधिक प्रावधानों को नजरंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार जब रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत मूल वाद ही मंजूर किए जाने योग्य नहीं हैं और न रेस्पो. सं.1 वाद लाने का अधिकार ही प्राप्त है और न रेस्पो. सं.1 द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया मामला होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में निर्णित ही किया जा सकता है अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने से अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। साथी ही धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुए बिलंब को माफ कर अपील को मैरिट पर निर्णित करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नाई ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सिजरा खानदान के अनुसार किशनाराम के दो पुत्र पाबूराम व मांगीलाल तथा तीन पुत्री सुण्डकीदेवी, पारसीदेवी व गोगलीदेवी हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हैं। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी में बंट में आता है। उपरोक्त विवादित भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा चैनसिंह पुत्र माधोसिंह से मूल खसरा नं. 283 में से 1/3 हिस्सा खरीद किया था जो बाद में विवादित भूमि के रूप में खसरान दर्ज हो गए हैं, खरीद के बाद लाड प्यार से अपने नाबालिग पुत्र यानि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

बेचाननामा पंजीबद्ध करवाया था अप्रार्थी सं. 02 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जो वक्त खरीद पैदा भी नहीं हुआ था, विवादित भूमि के बेचान को पजीबद्ध करवाते समय नाबालिग था एवं भूमि का प्रतिफल अप्रार्थी सं. 02 द्वारा किया गया था जो उस वक्त कर्ताखानदान थे। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों द्वारा अपने अपने खाते की आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा वर्षों पूर्व ही कर लिया था तथा मौके पर प्रार्थी व अन्य सह खातेदार अपने–अपने बंट में आई भूमि का उपयोग व उपभोग वर्षों से लेते आ रहे हैं परंतु राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 01 का नाम दर्ज होने से प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर उतारू है। यह बेचान बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर नहीं होता है अर्थात बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अपीलांट ने जो प्रावधान बहस में बताए हैं वह जबाब में नहीं थे अतः यह नया तथ्य लेकर आए हैं जो नहीं लाए जा सकते। भूमि अंतरण अधिनियम के तहत मुझे लाभ नहीं मिल सकता क्योकि मेरे पक्ष में कोई एग्रीमेंट नहीं हैं। एग्रीमेंट के बारे में केवल तथ्य बताए गए हैं उससे कोई अधिकार उत्पन्न होने की वाली बात नहीं हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के सैक्शन 90 के तहत एग्रीमेंट भी सही है। इस प्रकरण में यदि स्थगन आदेश जारी नहीं रखा जाता है तो मुझे हानि होगी अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु मेरे पक्ष में हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। अपील मियाद बाहर है। अपीलांट जेल में पर्टिकूलर अवधि में रहा। जेल जाने से पहले 3 माह व बाद में 4 माह की अवधि में अपील पेश नहीं की। अतः प्रस्तुत अपील मियाद व मैरिट दोनों पर खारिज योग्य है तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 2 के अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा ने रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को देखते हुए एवं रेस्पो. द्वारा काउंटर शपथ पत्र एवं जबाब नहीं दिए जाने से अपीलांट के द्वारा वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र धारा–5

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील में हुई देरी को माफ कर न्यायहित में अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की गई थी एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं रेस्पो. सं. 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत उत्तरवाद में रेस्पोडेंट्स द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त खसरा नं. 283 व 283/5 की कुल भूमि 35 बीघा 11 बिस्वा का पंजीबद्ध बेचाननामा अपीलांट के नाम से है और उस बेचाननामे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरों की भूमि बतौर खातेदार मात्र अपीलांट के नाम से दर्ज चली आ रही है। और जिस बेचाननामे को निरस्त किए जाने बाबत रेस्पो. सं. 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई वाद पेश नहीं किया गया है एवं रेस्पो. सं. 1 के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त बेचाननामा वर्ष 1970 से प्रभाव में हैं एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है व जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 540 में प्रतिपादित किया गया है कि किसी पंजीबद्ध दस्तावेज को जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता है, तब तक उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और विधि का यह भी एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज को धारा 31 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है राजस्व न्यायालय को एक पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार नहीं हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता की उक्त बहस से हम पूर्णतया सहमत हैं। इस प्रकरण में पंजीबद्ध बेचाननामें के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में हैं। अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार 1970 से दर्ज है अतः कृषि भूमि में पर खातेदार का ही कब्जा माना जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में कब्जे के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि वादग्रस्त भूमि पर खातेदार का कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें कब्जा हस्तांतरण की बात नहीं लिखी है। इस एग्रीमेंट में स्पष्ट अंकित है कि बाकी रुपए देने के बाद एवं बेचाननामा पंजीबद्ध होने के बाद भूमि का कब्जा सौंप दिया जावेगा। इस एग्रीमेंट के अनुसार बेचाननामा पंजीबद्ध नहीं हुआ बल्कि बेचाननामा अपीलांट के नाम 1970 में पंजीबद्ध हुआ है जिसके आधार पर म्यूटेशन भी वर्ष 1970 में स्वीकृत हुआ तथा इस भूमि पर समस्त अधिकार अपीलांट को प्राप्त हुए। इस प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1990 (एस.सी) 540, 2011 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू. 6385, ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 49,

28/5
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

आर.एल.डब्लू. 2002 (2) राज. 802, 2006 (3) आरएलडब्लू 2522 (एस.सी.), 2015 (3) आर.एल.डब्लू. 2187 (एस.सी) पेश किए। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करने पर प्रस्तुत दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं।

9 प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के नाम वर्ष 1970 से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं उसके आधार पर कब्जा भी उसका ही माना जावेगा क्योंकि इस प्रकरण में खातेदार का कब्जा नहीं होने संबंधी कोई रिपोर्ट या दस्तावेज नहीं हैं। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में उसके हक व अधिकारों से वंचित करने पर अपूर्णीय क्षति खातेदार को होगी। जहां तक रेस्पो. का कथन है कि अपीलांट खरीद के समय नाबालिग था एवं उसके पिता ने केवल स्नेह के कारण उसके नाम बेचाननामा पंजीबद्ध करा दिया था इसलिए उसका संपूर्ण भूमि में अधिकार नहीं है इस तरह का निष्कर्ष बिना साक्ष्य सबूत के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर नहीं निकाला जा सकता है यदि कोई हक व अधिकार होंगे तो विचाराधीन दावे के निस्तारण के बाद ही तय होंगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एग्रीमेंट जो निष्पादित नहीं हुआ व जिसमें कब्जा सौंपा जाने का भी उल्लेख नहीं हैं के आधार पर किया गया विवेचन एवं अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2015 निरस्त किया जाता है।

28/5/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.05..2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर